

## न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा  
आई.ए.एस.

मिसल संख्या  
मैनुअल नं.119/प्रा.पत्र/2024  
( GCMS No. 2024 / 183 )

तारीख दायरा  
14.10.2024

तारीख निर्णय  
27.11.2024

राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

### बनाम

हेमा पुत्र धूला जाति भील,  
निवासी ग्राम सूतड़ा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956  
उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।  
अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

### निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी हेमा पुत्र धूला को किये गये भूमि  
आवंटन खसरा सं. 1173/580 रकबा 0.9712 हैक्टेयर वाकेग्राम सूतड़ा  
आवंटन आदेश दिनांक 06.12.1975 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि  
प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया  
है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 119/2024 पर दर्ज  
रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/183 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया।  
प्रार्थना पत्र के संलग्न हल्का पटवारी, भूअभिलेख निरीक्षक एवं नायब  
तहसीलदार डाबी की संयुक्त रिपोर्ट अनुसार हेमा पुत्र धूला भील की मृत्यु हो  
चुकी है एवं मौतबिरानों से उसके वारिसान की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से  
आवंटी का फोती नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही नहीं हो पायी है।  
ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विधिक वारिसान की सुनवाई किया जाना संभव नहीं  
होने से प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

  
अक्षय गोदारा



तत्पश्चात बहस परोकार सरकार सुनी गयी।

परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये गये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा कार्रत नहीं है। इस प्रकार आवंटी तथा वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किये गया उक्त आवंटन निरस्त किये जाकर भूमि सिवायचक्र दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किये गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये एवं बहस पर मनन किये गया। जिससे प्रकट है कि हेमा पुत्र धूला जाति भील निवासी सूतड़ा को दिनांक 06:12:1975 को भूमि खसरा सं. 580 रकबा 6 बीघा वाकग्राम सूतड़ा का आवंटन किये गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेड़ा द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किये है। प्रार्थना पत्र के संलग्न हल्का पटवारी, भूअभिलेख निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार डबी की संयुक्त रिपोर्ट अनुसार हेमा पुत्र धूला जाति भील की मृत्यु हो चुकी है एवं ग्रामवासियान के अनुसार उसके विधिक वारिसान की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से उक्त गैर खातेदार का फोती नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही नहीं हो सकी है। आवंटी के वारिसान की जानकारी नहीं होने के कारण इस प्रकरण में भी मृतक अप्रार्थी के कायम मुकाम बनाये जाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम सूतड़ा की नकल जमाबंदी संवत् 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 1173/580 रकबा 0.9712 हैक्टेयर पर अप्रार्थी हेमा पुत्र धूला जाति भील गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। खसरा गिरदावरी खरीफ (सियालू) वर्ष 2023 संवत् 2080 के अनुसार उक्त भूमि पर फसल नहीं बोई जाकर "पड़त" पड़ी हुई है। इससे स्पष्ट है कि आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा कार्रत नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14( 3 ) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष कार्रत करना आवश्यक है। जबकि इस प्रकरण में आवंटी या उसके वारिस का आवंटित भूमि पर कब्जा कार्रत नहीं होना, आवंटी का आवंटित भूमि पर 48 वर्षों तक गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड रहना तथा आवंटी की मृत्यु के उपरान्त उसके विधिक वारिसान की जानकारी के अभाव में राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि मृतक व्यक्ति के नाम ही दर्ज रेकार्ड होना आदि तथ्यों से आवंटन की शर्तो का उल्लंघन होना प्रमाणित है। ऐसे में उक्त आवंटन खारिज किये जाने योग्य है।



जिला मजिस्ट्रेट

उपरोक्त विवेचन के आधार एवं विधिक प्रावधानों की अनुपालना में उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी हेमा पुत्र धूला जाति भील निवासी सूतड़ा को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 580 रकबा 6 बीघा हाल खसरा संख्या 1173/580 रकबा 0.9712 हैक्टयर वाकेग्राम सूतड़ा दिनांक 06.12.1975 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उनके विरुद्ध अतिक्रमी की हैसियत से वेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ़तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अश्वय गोदार)  
जिला कलेक्टर बून्दी

